

पाठ - 1

पवित्रता और अपवित्रता का ब्यान

الدرس الأول - هندي

الطهارة والنجاسة

नजासत (गन्दगी) इस नजासत को साफ़ करना और शरीर के जिस अंग में लग जाए, उसका धुलना ज़रूरी है। यदि कपड़े या शरीर में गन्दगी लग जाए तो उसे साफ़ करने के लिए धोना ज़रूरी है। यदि वह ऐसी गन्दगी हो जो दिखायी देती हो, जैसे हैज़ (मासिक साव) का खून तो यदि धोने के बाद भी निशान बाकी रह जाता है और खत्म नहीं हो पाता तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।

लेकिन यदि गन्दगी ऐसी हो जो दिखायी न देती हो तो उसे एक बार धोना ही काफी है।

ज़मीन में अगर गन्दगी लग गयी है तो उसपर पानी बहा देने से वह पाक हो जाएगी। इसी तरह से यदि गन्दगी तरल पदार्थ हो, तो सूख जाने से ही पाक हो जाती है। लेकिन यदि गन्दगी ठोस हो तो उसको हटाने से ही वह पाक होगी।

पानी का इस्तेमाल पाकी हासिल करने और नजासत को दूर करने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर वर्षा का पानी और समुद्र आदि का पानी। उसी तरह इस्तेमाल किया हुआ पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शर्त यह है कि पानी का रंग, गंध आदि न बदला हो।

उसी तरह से उस पानी का भी प्रयोग किया जा सकता है जिसमें कोई पाक चीज़ मिलायी गयी हो या मिल गयी हो। शर्त यह है कि वह पानी ही समझा जाए। अगर पानी में कोई पाक चीज़ मिलायी गयी हो और उसका नाम बदल गया हो, तो पाक होने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

उसी तरह से उस पानी का इस्तेमाल भी ठीक नहीं है जिसमें निजासत और गन्दगी मिल गयी हो और उससे पानी का स्वाद, सुगंध या रंग बदल गया हो। लेकिन अगर इन चीजों में से कोई चीज़ नहीं बदली है तो सहीतरीन कौल के मुताबिक उस पानी का इस्तेमाल जाएज़ है।

पानी पीने के बाद जो पानी बच जाता है उसका इस्तेमाल जायज है। अलबत्ता कुत्ता या सुव्वर का जूठा पानी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। क्योंकि वह नापाक हैं।